

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी कोर्ट)

नाम - पीठासीन अधिकारी - श्री श्रवण सिंह राठौड (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :- 27/2024

दायर दिनांक 18.06.2024

फैसल दिनांक 19.06.2024

अनवान

श्री भगताराम सिंह पिता मोहब्बत सिंह
चौहान निवासी पारडामोरु

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा


(वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री भगताराम सिंह पिता मोहब्बत सिंह चौहान निवासी पारडा मोरु ने वाद प्रस्तुत कर मौजा पारडा मोरु जमाबन्दी सवन्त 2074-77 के खाता संख्या 58 में अंकित स्वयं का हिस्सा नाथुसिंह पिता बलवन्तसिंह 1/4, भगवतसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, रामसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, लालसिंह पिता छतरसिंह 1/4 का गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति को होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार (भूमिधारी) सागवाडा की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 अनुसार प्रार्थी का सही हिस्सा नाथुसिंह पिता बलवन्तसिंह 1/3, भगताराम सिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/3, लालसिंह पिता छतरसिंह 1/3 है लेकिन उक्त खाते में गलत हिस्सा नाथुसिंह पिता बलवन्तसिंह 1/4, भगवतसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, रामसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, लालसिंह पिता छतरसिंह 1/4 दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा पारडा मोरु की जमाबन्दी सवन्त 2074-77 के खाता संख्या 58 में खातेदार का अंकित गलत हिस्सा नाथुसिंह पिता बलवन्तसिंह 1/4, भगवतसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, रामसिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/4, लालसिंह पिता छतरसिंह 1/4 में संशोधन कर सही हिस्सा नाथुसिंह पिता बलवन्तसिंह 1/3, भगताराम सिंह पिता मोहब्बतसिंह 1/3, लालसिंह पिता छतरसिंह 1/3 दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नग्वर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा